



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269435
CG-DL-E-19012026-269435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2026/पौष 29, 1947

No. 232]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2026/PAUSHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 260(अ).—केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “अलीगढ़ विकास प्राधिकरण” (पैन:AAALA0082G) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “निर्धारिती” कहा गया है) को, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11/ 1973) के तहत गठित एक प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों से उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11/1973) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 8 /2026/फा. सं. 300195/4/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2026

S.O. 260(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Aligarh Development Authority” (PAN:AAALA0082G) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President’s Act No.11 of 1973), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President’s Act No.11 of 1973), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 8 /2026/F. No. 300195/4/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269434
CG-DL-E-19012026-269434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2026/पौष 29, 1947

No. 233]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2026/PAUSHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 261(अ).— केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 'बरनाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट' (पैन: AABTB1345E) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “करदाता” कहा गया है) को, पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (पंजाब अधिनियम संख्या 4/1922) के तहत गठित एक प्राधिकरण, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों से पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (पंजाब अधिनियम संख्या 4/1922) के तहत गठित एक स्थानीय प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 9 /2026/फा. सं. 300195/47/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2026

S.O. 261(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies the ‘Barnala Improvement Trust’ (PAN: AABTB1345E) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Punjab Town Improvement Act, 1922 (Punjab Act No. 4 of 1922), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be a local authority constituted under the Punjab Town Improvement Act, 1922 (Punjab Act No. 4 of 1922) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 9 /2026/F. No. 300195/47/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269433
CG-DL-E-19012026-269433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]
No. 234]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2026/पौष 29, 1947
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2026/PAUSHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 262(अ).—केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “आगरा विकास प्राधिकरण” (पैन: AAALA0081F) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “निर्धारिती” कहा गया है), उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11/1973) के तहत गठित एक प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों से उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11/1973) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 10 /2026/फा. सं. 300195/67/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2026

S.O. 262(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Agra Development Authority” (PAN: AAALA0081F) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973(President’s Act No. 11 of 1973), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973(President’s Act No. 11 of 1973) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 10 /2026/F. No. 300195/67/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.